


## प्ररूप 2 (नियम 11 (4) द खए)



## कार्यालय, जिला शक्ता अ धकारी (REWA), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक:/14083109/स्कूल आई.डी. - 12858  
प्रति,

दिनांक:-

प्रबंधक,

(Asashkiya Maharishi Vidya Mandir Rewa)

वषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ता का अ धकार अ धनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ता का अ धकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 08/09/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Asashkiya Maharishi Vidya Mandir Rewa, NH-7 Village koshta, post Rathara Distt. Rewa(m.p.) को कक्षा KG-I से कक्षा 8 तक के लए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावध के लए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न ल खत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता वस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता कसी भी रूप में वय क्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ता का अ धकार अ धनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ता का अ धकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पडोस की सीमा के बंधत समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दण में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभक शक्ता देगा जिस रूप में उसके वार्षक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते क जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शक्ता दी जाती है वहां अ धनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लए लागू होगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अ धनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैं पटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अ भभावक के साथ कसी छानबीन प्र क्रया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लए वहित की गई वस्तारित कालावध के पञ्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
  - कसी स्कूल में प्रारंभक शक्ता पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्का सत नहीं कया जाएगा;
  - कसी बालक को जारीरिक या मान सक रूप से प्रता डत नहीं कया जाएगा;
  - प्रारंभक शक्ता पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभक शक्ता पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अ धनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/वशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित कया जाएगा;
  - अ धनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शक्तकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते क वर्तमान में कार्यरत जो शक्तक इस अ धनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अ धनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
  - शक्तकों को अ धनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टी चंग की गति व धयों में शक्तक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by  
Anjani Kumar Tripathi  
Date: 2018.06.1115:16:47 IST  
Reason: Digitally Signed  
Location: NIC

स्कूल समूचत प्रा धकारी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।  
अ धनियम की धारा 19 में वहित कए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुवधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन कया जाएगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में वनिदिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुवधाएं निम्नानुसार पाई गर्याः-

सुवधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तवक स्थिति
8 स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	59763	34746
10 स्कूल का निर्मत क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	4827	4827
11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	53527	53527

#### इ. अधोसंरचना का व्यवरण

कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तवक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1 कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		10	366	10	366
2 कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रथानाध्यापक कक्ष		2	271	2	271
3 भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

#### च. अन्य सुवधाएँ

क्या सभी सुवधाओं तक पहुंच वाधा रहित है हाँ/नहीं	पोर्टल में दर्ज	वास्तवक स्थिति
1 पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
2 खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3 पुस्तकों की संख्या	3582	3582
4 पत्रिकाएं/समाचार पत्र	10	7
5 पेयजल सुवधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
6 पेयजल सुवधा की संख्या	20	10
7 शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
8 लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	8	8
9 लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	8	4
10 वकलांग बच्चों के लए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	4	1
11 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षत कए जाएंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा सत्या पत होंगे और उच्चत लेखा व्यवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के व्यवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शक्ता अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..14083109.. एवं डाइसकोड (DISE) 23140120107 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर सदृश रूप से दर्शायें।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शक्ता केन्द्र/जिला शक्ता अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कामयाएँ को दूर करने के लए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी कए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण क्या जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्व हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

  
Principal  
Mahanshi Vidya Mandir  
Kosta Rewa (M.P)

भवदीय,

जिला शक्ता अधिकारी

जिला REWA

मध्यप्रदेश